F.No. 4(8)/2022-RTI(LD)
Government of India
Ministry of Law and Justice
Legislative Department
RTI Cell
***

New Delhi, the 18th May, 2022

To

Subject: Providing of Information under RTI Act.

Sir,

With reference to your application dated nil (received in this Department on 19.4.2022) on the subject mentioned above it is stated that the information sought by you with regard to point Nos.1 to 7 and 11 to 14 regarding Representation of the People Act, 1951 wherein you are asking opinion related to some provision of the Constitution of India and the Representation of the People Act, 1951 which does not fall within the definition of information as per section 2(f) of the RTI Act, 2005, therefore, no information can be provided to you.

2. In so far as the point Nos. 8, 9 & 10 are concerned, it is stated that these are administratively concerned with the Department of Justice (point Nos.8 & 9) and the Ministry of Home Affairs (point No.10) respectively. Therefore, your application is being transferred to them under section 6 (3) of RTI Act, 2005 to provide you requisite information if any.

3. Further, the Constitution of India and the Representation of the People Act, 1951 are also available in the public domain and also at http://legislative.gov.in/constitution-of-india/ and https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2096?sam_handle=123456789/1362.

Yours faithfully,

(**P.C. Meena**)
Deputy Secretary (OLW) & CPIO
Tel. No. 23388007

Note.- Dr. N.R. Battu, Additional Secretary & FAA, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, Room No.421 'A' Wing, 4th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi – 110001(Tel. No.01123384044 & E mail aa-rti-legis@nic.in) is the First Appellate Authority for filing the first appeal, if any (within 30 days from the date of issue of the letter).

Copy for necessary action to:-

1. CPIO, Department of Justice, Jaisalmer House, New Delhi.
2. CPIO, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.

(alongwith application of Shri Vinay with the request to furnish the information directly to the applicant).

सेवा में

श्रीमान जन सूचना अधिकारी जी,

कानून और न्याय मंत्रालय,

ए विंग, चौथी मंजील, शस्त्री भवन,

भारत सरकार, दिल्ली–110001

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना लेने हेतू। सभी सवालों के जवाब राष्ट्रभाषा हिन्दी में दे।

1. भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निगम पार्षद/विधायक/सांसद बनने के लिए क्या–क्या योग्यताएं तथा अयोग्यताएं है, विस्तार से बताएं।
2. भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अगर कोई जनप्रतिनिधि जैसे निगम पार्षद/विधायक/सांसद अपने पद पर शपथ लेने के बाद अपने क्षेत्र की जनता के लिए कार्य नहीं करता है तो उस क्षेत्र की जनता अपने जन–प्रतिनिधि के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत क्या–क्या कार्यवाही कर सकती है।
3. भारत के सविधान के अनुसार अगर कोई जन–प्रतिनिधि जैसे निगम पार्षद/विधायक/सांसद अपने क्षेत्र में में बजट ना आने के कारण बोलकर जनता के कार्य करने से मना करता है, तो उस क्षेत्र की जनता सविधान के अनुसार क्या–क्या कार्यवाही अपने अपने जन–प्रतिनिधि पर कर सकती है और किस आधार पर विस्तार से बताए।
4. भारत के सविधान के अनुसार अगर हमारा जन–प्रतिनिधि जैसे निगम पार्षद/विधायक/सांसद ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है, तो उस पर उस क्षेत्र की जनता क्या क्या कार्यवाही सविधान के अनुसार कर सकती है, विस्तार से बताए।
5. भारत के सविधान के अनुसार अगर हमारा जन–प्रतिनिधि जैस निगम पार्षद/विधायक/सांसद अपने क्षेत्र की जनता को मिलने का समय नहीं देता है तो उस पर उस क्षेत्र की जनता भारत के सविधान के अनुसार क्या–क्या कार्यवाही कर सकती है, विस्तार से बताए।
6. भारत के सविधान के अनुसार अगर कोई जन सेवक जैसे सरकारी अधिकारी/सरकारी कर्मचारी पब्लिक डिलिंग के समय जनता से अभद्रता व गलत व्यवहार करता है तो उस पर भारत के सविधान के अनुसार क्या–क्या कार्यवाही की जा सकती है, विस्तार से बताए।
7. भारत के सविधान के अनुसार अगर कोई जन सेवक जैसे सरकारी अधिकारी/सरकारी कर्मचारी अपने क्षेत्र की जनता को उनके समस्या के समाधान के लिए मिलने के लिए कभी भी समय नहीं देता है तो उस पर भारत के सविधान के अनुसार क्या–क्या कार्यवाही की जा सकती है, विस्तार

आर. टी. आई. ...
23/2023
19/4/23

प्राप्ति तथा प्रेषण अनुभाग
18 APR 2023
504722
अनु. क्र. सं.

8. भारत के सविधान के अनुसार भारत में न्यायिक व्यवस्था सुप्रिम कोर्ट व हाई कोर्ट व जिला कोर्टो में न्याय अंग्रेजी भाषा में ही किया जाता है, वो किस आधार पर किया जाता है, बताए, जबकी भारतवर्ष 1947 में ही आजाद हो चूका था।

9. भारत में न्यायिक व्यवस्था सुप्रिम कोर्ट व हाई कोर्ट व जिला कोर्टो में न्याय का माध्यम सभी पत्रांकों/ऑर्डरों में अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल होता है, जबकी भारत की 100 करोड़ से ज्यादा जनता को अंग्रेजी माध्यम का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो हमारी यह न्याय व्यवस्था किस प्रकार न्याय जनता को प्रदान करेगी, बताए।

10. भारत के सविधान के अनुसार किसी क्षेत्र में बहुत छोटे से सामान्य अपराध पुलिस थाना के अंतर्गत आते है तो ऐसे अपराधों में पुलिस विभाग को बिना कोर्ट लेजाए क्या-क्या कार्यवाही की जा सकती है, विस्ता से बताए।

11. भारत के सविधान के अनुसार अगर किसी क्षेत्र में विधायक या निगम पार्षद द्वारा गलत प्रकार की सड़के जैसे खराब क्वालिटी की सड़के/सड़को पर पानी का ढलान नालियों में नहीं बनाना आदि ऐसे गलता कार्य करके उस क्षेत्र की जनता को अगले 5 वर्षो तक भुगतने के लिए देते है तो ऐसे गलत सड़क बनाने वाले जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या निगम पार्षद पर भारत के सविंधान के अनुसार क्या-क्या कार्यवाही की जा सकती है, विस्तार से बताए।

12. भारत के सविधान के अनुसार अगर किसी क्षेत्र के विधायक या निगम पार्षद या सांसद पर आय से अधिक संपति होती है तो भारतीय सविंधान के अनुसार उस पर क्या-क्या कानूनी कार्यवाही होती है, विस्तार से बताए।

13. भारत के सविधान के अनुसार अगर किसी क्षेत्र के विधायक या निगम पार्षद या सांसद की शिक्षा से जुड़ी डिग्री या सर्टिफिकेट फर्जी पाएं जाते है, तो भारतीय सविंधान के अनुसार उस पर क्या-क्या कानूनी कार्यवाही होती है, विस्तार से बताए।

14. भारत के सविधान के अनुसार अगर कोई भी सरकारी विभाग जनता का कार्य अपनी तय सीमा के अंदर नहीं करता है तो उस विभाग पर भारत के सविधान के अनुसार क्या-क्या कार्यवाही उस विभाग व संबंधित अधिकारी या कर्मचारि पर क्या-क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, विस्तार से बताए।

15. 10 रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या- 501698 साथ में सलग्न कर दिया है।